(17)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3)विभाग

क्रमांक प.6(10)प्र.सु./अनु–3/2011 दिनांक 18.10.2016

आदेश

अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकाप्रस्द, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य सुविधायों का लाभ ले रहे है जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक प.6(10)प्र.सु.वि./अनु–3/2011 दिनांक 18.03.2011 द्वारा राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया था परन्तु उक्त क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15574/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के अनुपालना मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटील व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातिय विकास व अन्य प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्देशों के अनुसरण में शंकाप्रस्द, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्रो को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये राज्य स्तरीय छानबीन (**State level Scrutiny Committee**)समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — अध्यक्ष
2. आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य
3. सचिव, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग (जहॉ प्रकरण का संबध अनुसूचित जाति से है) /राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग। (जहॉ प्रकरण का संबध अनुसूचित जनजाति से संबधित है) — सदस्य (सामाजिक स्तर/ जनजाति समुदाय से विज्ञधिकारी)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of State level Scrutiny Committee):–

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय–समय पर नीति निर्धारण करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाण पत्रों के मामलें में नियुक्ता /शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृतियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाण पत्र के मामलें में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अतिंम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सर्तकता अधिकारी को संबधित जगह पर जॉच करने की सूचना देना एवं उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलैन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

राज्य स्तरीय छानबीन सचिमति की शक्तियां (Power of State level Scrutiny Committee):–

1. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये शंकाप्रस्द, फर्जी/झूठा एवं अनधिकृत रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की सम्पूर्ण शक्तियां समिति को होंगी।
2. अनुसूचित जाति /जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये जारी जाति प्रमाण पत्र के संबध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिंम और बाध्यकारी रहेगा। यह

(98)

निर्णय भारत के सविंधान के अनुच्छेद–226 के प्रावधान के तहत की गयी कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नही की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद–136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।

3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामलें में बचाव का उचित मौका देना होगा।
4. बचाव की समय–मर्यादा में बढोतरी की जा सकती है।
5. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
6. गलत प्रमाण पत्र धारण करने के मामलें को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैर लायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नही हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करतें हुये अधिकतम छः माह तक और बढा सकेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

18/10/12

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:–

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) सचिव प्रथम व सचिव द्वितिय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर
5) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
13) समस्त जिला कलक्टर.....
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी